न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी– अरविन्द कुमार जाखड़ (आर.ए.एस.)

दायर दिनांकः 08.12.2021

प्रकरण संख्या : 81/2021

हंसराज पुत्र साहबराम जाति स्वामी निवासी किशनपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
......प्रार्थी

बनाम

1. पन्नादास पुत्र मोहनदास जाति स्वामी निवासी किशनपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़
.......अप्रार्थीगण

शिकायत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11/14 उपनिवेशन अधिनियम 1954

उपस्थित :–

1. श्री धर्मपाल सिहाग, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री भागीरथ बिश्नोई अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1
3. पैरोकार राज

दिनांकः– 17.08.2022

:: निर्णय ::

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी ने यह शिकायत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी न. 1 के नाम से रोही किशनपुरा के खसरा न. 236 में 2.530 हैक्टेयर, खसरा न. 417/2 में 2.530 हैक्टेयर, खसरा न. 46/2 में 1.265 हैक्टेयर, खसरा न. 73 में 1.265 हैक्टेयर व खसरा न. 411/4 में 1.265 हैक्टेयर कुल 35 बीघा रकबा टी.सी. आंवटन हुआ था। खसरा नम्बर 411/4 का 1.265 हैक्टेयर रकबा अनकमाण्ड होकर चक 1 के.एस.पी.एम. 'ए' में पैमूद होकर आवंटन हो गया। उक्त वर्णित रकबा अप्रार्थी न. 1 ने सही तथ्य छिपाकर रकबा आवंटन करवाया है। टी.सी. आंवटन के समय सही तथ्य नहीं छिपाये होते तो अप्रार्थी को यह रकबा न तो टी.सी. पर आवंटन होता न ही पुख्ता आवंटन होता व न ही इस रकबा के खातेदारी अधिकार प्राप्त होते। शिकायतकर्ता का यह भी कथन हैं कि अप्रार्थी के पिता के नाम से रोही किशनपुरा के खसरा नम्बर 264 में 14 बीघा खातेदारी व 8 बीघा गैर खातेदारी व इसी रोही के खसरा नम्बर 46/2 में 6 बीघा, 73 में 5 बीघा रकबा खातेदारी था जिसमें से 46/2 का 6 बीघा रकबा का अप्रार्थी न. 1 के पिता ने आगे बेचान कर दिया । अप्रार्थी के पिता के रकबा मे से अप्रार्थी को मिलने वाले सम्भावित हिस्सा (नोशनल शेयर) को शामिल कर लिया जावे तो अप्रार्थी जैरप्रकरण रकबा को आंवटन करवाने का पात्र नहीं था। अप्रार्थी संख्या 01 ने जैरप्रकरण रकबा के खातेदारी अधिकार भी तहसीलदार से प्राप्त कर लिये, जिसमें खसरा नम्बर 73 का 5 बीघा रकबा भी सम्मिलित हैं। इसलिए शिकायत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि कुल 30.15 बीघा रकबा का आवंटन व खातेदारी अधिकार निरस्त फरमाये जाकर जैरप्रकरण भूमि का कब्जा बहक सरकार लिया जावे व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।
2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसील से रिपोर्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मपाल सिहाग उपस्थित [illegible] अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री भागीरथ बिश्नोई एवं श्री अमित सैनी हाजिर आये [illegible] अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से पैरोकार राज हाजिर आये। बहस उभय पक्ष सुनी गई।
3. अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस शिकायत प्रार्थना पत्र व [illegible] बहस के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी न. 1 के नाम से रोही किशनपुरा के खसरा न. 236 में 2.530 हैक्टेयर, खसरा न. 417/2 में 2.530 हैक्टेयर, खसरा न. 46/2 में 1.265 हैक्टेयर, खसरा न. 73 में 1.265 हैक्टेयर व खसरा न. 411/4 में 1.265 हैक्टेयर कुल 35 बीघा रकबा टी.सी. आंवटन हुआ था। खसरा नम्बर 411/4 का 1.265 हैक्टेयर रकबा अनकमाण्ड होकर चक 1 के.एस.पी.एम. 'ए' में पैमूद होकर आवंटन

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar,
Date: 2023.01.23 11:58:34 IST
Reason: Self Attested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

हो गया। उक्त वर्णित रकबा अप्रार्थी न. 1 ने सही तथ्य छिपाकर रकबा आवंटन करवाया है। टी.सी. आवंटन के समय सही तथ्य नहीं छिपाये होते तो अप्रार्थी को यह रकबा न तो टी.सी. पर आवंटन होता न ही पुख्ता आवंटन होता व न ही इस रकबा के खातेदारी अधिकार प्राप्त होते। शिकायतकर्ता का यह भी कथन हैं कि अप्रार्थी के पिता के नाम से रोही किशनपुरा के खसरा नम्बर 264 में 14 बीघा खातेदारी व 8 बीघा गैर खातेदारी व इसी रोही के खसरा नम्बर 46/2 में 6 बीघा, 73 में 5 बीघा रकबा खातेदारी था जिसमें से 46/2 का 6 बीघा रकबा का अप्रार्थी न. 1 के पिता ने आगे बेचान कर दिया। अप्रार्थी के पिता के रकबा मे से अप्रार्थी को मिलने वाले सम्भावित हिस्सा (नोशनल शेयर) को शामिल कर लिया जावे तो अप्रार्थी जैरप्रकरण रकबा को आवंटन करवाने का पात्र नहीं था। अप्रार्थी संख्या 01 ने जैरप्रकरण रकबा के खातेदारी अधिकार भी तहसीलदार से प्राप्त कर लिये, जिसमें खसरा नम्बर 73 का 5 बीघा रकबा भी सम्मिलित हैं। इसलिए शिकायत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि कुल 30. 15 बीघा रकबा का आवंटन व खातेदारी अधिकार निरस्त फरमाये जाकर जैरप्रकरण भूमि का कब्जा बहक सरकार लिया जावे व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

4. अधिवक्ता अप्रार्थी न. 1 ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र तथा लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि टी.सी. आवंटन के वक्त व पुख्ता आवंटन के समय सही तथ्य ही पेश किये गये थे। तहसीलदार सूरतगढ़ ने खातेदारी अधिकार सही व कानून सम्मत जारी किये गये हैं। जितना रकबा दादा से पिता को खातेदारी आया हैं। उसका विवरण आंवटन प्रार्थना पत्र में रिपोर्ट की हुई हैं। जैरप्रकरण भूमि उपनिवेशन क्षेत्र से बाहर की हैं जिस पर कॉलोनाईजेशन एक्ट की धारा लागू ना होकर भू-राजस्व अधिनियम 1956 के नियम लागू होते है। शिकायतकर्ता का कथन है कि अप्रार्थी ने तथ्य छिपा कर रकबा आवंटन करवाया हैं तो उसके लिए आवंटन नियम 1975 के नियम 21 में प्रावधान किया हुआ हैं कि तथ्य छिपाकर कोई रकबा आवंटन करवाया जाता हैं तो आंवटन अधिकारी को आवंटन नियम 21 के तहत शिकायत पेश की जानी चाहिए तथा शिकायत के तथ्य सही पाये जाने पर आवंटन अधिकारी द्वारा आवंटन निरस्त किया जा सकता हैं। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शिकायत प्रार्थना पत्र धारा 11/14 श्रवण योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य हैं। न्यायिक दृष्टांत आरबीजे 2016 पेज 404 एससी, आरआरडी 1980 पेज 5, आरआरडी 2002 पेज 1, आरआरडी 1992 पेज 117 की ओर ध्यान दिलाया। अप्रार्थी का यह भी कथन है कि आंवटित रकबा के जब खातेदारी अधिकार जारी हो जाते हैं तो उस रकबा पर आवंटन नियमों की शर्ते लागू न होकर काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू होगें। अगर अलोटी ने कोई तथ्य छिपाये हैं तो भी आंवटन के लम्बे समय के बाद व खातेदारी अधिकार जारी होने के बाद आंवटन के लम्बे समय के बाद व खातेदारी अधिकार जारी होने के बाद आवंटन को निरस्त किया जाना ट्रेवेस्टी ऑफ लॉ व प्राकृतिक न्याय के स्थान पर अन्याय होगा चूंकि इतने लम्बे समय में रकबा को कड़ी मेहनत करके सुधारा गया हैं व उस रकबा पर अलोटी के पूरे परिवार का भरण पोशण टिका हुआ हैं। न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1995(2) पेज 780, एचसी पेरा 7, एलआर एक्ट 1994 पेज 1128 पेरा 7, आरआरडी 1995 पेज 697, आरआरडी 1999 पेज 128, आरबीजे 2001 पेज 125, आरआरटी 2001 पेज 29, आरबीजे 2016(2) पेज 102 पेरा 6-7-10-11, की ओर ध्यान दिलाया। अप्रार्थी संख्या 01 को टी.सी. आवंटन हुए 40 वर्ष का समय हो गया हैं। खातेदारी जारी हुए 8 वर्ष से अधिक समय हो गये हैं व शिकायतकर्ता कहीं भी यह सिद्ध नहीं कर पाया हैं कि अप्रार्थी ने तथ्य छिपाकर जैरप्रकरण भूमि का आवंटन करवाकर गलत तरीके से खातेदारी अधिकार जारी करवाये हैं। प्रार्थी का यह कथन है कि अप्रार्थी ने अपने पिता के नाम की उस भूमि की जमाबन्दीया व खातेदारी अधिकार जारी करने की सनद् व रकबा की खातेदारी जारी होने के बाद इन्तकाल के माध्यम से नाम जमाबन्दी में दर्ज होने वाली जमाबन्दी की सत्यप्रतियां भी प्रस्तुत की हैं। इसलिए प्रार्थी की शिकायत अदालत के सुनवाई के अधिकार क्षेत्र में नहीं होने व आवंटन के समय कोई भी तथ्य नहीं छिपाये गये व वर्षो पूर्व जैरप्रकरण रकबा के खातेदारी अधिकार जारी हो जाने के बाद आंवटन या खातेदारी रकबा को धारा 11/14 कोलो[illegible] आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत खारिज नहीं किया जा सकता इसलिए शिकायत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे

5. पैरोकार राज ने अपनी बहस में निवेदन किया कि उक्त [illegible] का किया गया आवंटन नियमानुसार सही है व खातेदारी अधिकार भी नियमानुसार पूर्ण जांच एवं विधिक प्रकिया अपनाकर ही जारी किया गया है। प्रकरण में राज्य हित निहित है, अतः राज्य हित [illegible] ध्यान में रख कर निर्णय करने बाबत निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.01.23 14:58:34 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

हमने उभय पक्ष की बहस पर गहनता से चिंतन, मनन किया व अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल आवंटन पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अप्रार्थी को जेर अपील रकबा संवत 2042 में टीसी पर आवंटन किया गया था उसमें पिता/दादा से नोशनल शेयर में प्राप्त होने वाली भूमि की रिपोर्ट की गई व इसी प्रकार से दिनांक 13.7.2007 को पुख्ता आवंटन पत्रावली में भी पिता से आने वाली भूमि के हिस्सा की गणना करने के बाद ही जैर प्रकरण रकबा का पुख्ता आवंटन किया गया है व जी.एफ.सी. में आने वाले रकबे के पुख्ता आवंटन आदेश में भी दुरूस्ती की गई है। उसी रकबा के बाद में वर्ष 2014 में तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा खातेदारी अधिकार जारी किये गये है। यह तथ्य साबित है कि अप्रार्थी संख्या 01 ने टीसी व पुख्ता आवंटन करवाने के लिए जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था उसमें पिता या दादा की भूमि से प्राप्त होने वाले सम्भावित हिस्सा को नहीं दर्शाया है। टीसी व पुख्ता आवंटन/खातेदारी पत्रावलियां संख्या यथा 1460/2007 व 14/2014 निर्णय दिनांक 13.7.2007 व संशोधित आदेश दिनांक 29.02.2008 में पटवारी हल्का व रिपोर्ट तहसीलदार में व संलग्न टीसी आवंटन पत्रावलियों के अवलोकन से यह सिद्व है कि उन पत्रावलियों में पिता से आने वाले हिस्सा की भूमि की रिपोर्ट पत्रावलियों में की हुई है। अप्रार्थी के पिता के नाम शिकायतकर्ता ने जो रकबा बताया है वह रकबा वर्ष 2007 में टीसी आवंटित रकबा था पिता जीवित थ व आज भी जीवित है। इसलिए पिता के नाम की टीसी आवंटित भूमि में अप्रार्थी का कोई नोशनल शेयर माना जाना कानून समत नहीं है। अप्रार्थी संख्या 01 के पिता मोहन दास के पास 33 बीघा भूमि रोही किशनपुरा के विभिन्न खसरों में टीसी आवंटित होना बताया है। मोहनदास के अप्रार्थी संख्या 1 सहित कुल 6 पुत्र व पुत्रियां व एक स्वयं मोहनदास इस प्रकार कुल 7 हिस्सेदार होने पर प्रत्येक को 2.10 बीघा बारानी भूमि हिस्सा में आती है व दादा से 2.00 बीघा खातेदारी भूमि पिता मोहन को हिस्सा से आयी उसमें अप्रार्थी संख्या 01 को आधा बीघा बारानी भूमि से कम भूमि हिस्सा में आती है। पिता से प्राप्त होने वाली भूमि का सम्भावित हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 के खाते में जोड लिया तो भी अप्रार्थी संख्या 1 को 3 बीघा बारानी भूमि व 30.15 बीघा टीसी से पुख्ता आवंटन व बाद में खातेदारी जारी होने वाली भूमि को जोडने पर 33.15 बीघा बारानी भूमि ही अप्रार्थी का हिस्सा बनता है। जबकि राजस्थान कॉलोनाईजेशन (टी.सी.) 1955 की 8 में यह प्रावधान दिया गया है कि किसी एक काश्तकार को अधिकतम 25 बीघा नहरी व 50 बीघा अकमाण्ड़ रकबा आवंटन किया जावेगा व उसमें उसके पिता से आने वाले सम्भावित हिस्सा को भी सममिलित किया जावेगा। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 ने जैर प्रकरण रकबा पहले टीसी आवंटन करवाया वहीं रकबा बाद में पुख्ता आवंटन करवाया व रकबा डी कॉलोनी होने के बाद भू–राजस्व अधिनियम के (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970) के नियम 18 परन्तुक (11) के तहत खातेदारी अधिकार जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 को हुए आवंटन एवं खातेदारी में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई जाती है। प्रार्थी द्वारा यह शिकायत की गई है कि अप्रार्थी संख्या 01 ने तथ्य छिपाकर आवंटन करवाया है। अप्रार्थी का पिता आज भी जीवित है उसके नाम की टीसी भूमि में उनके जीवनकाल में किसी प्रकार का हिस्सा नहीं बनता है व पुरानी खातेदारी भूमि का हिस्सा आवंटन के समय दर्शाया हुआ होने से शिकायत खारिज किये जाने योग्य है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरण में भली भांती चस्पा होते है। शिकायतकर्ता का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11, 14 उपनिवेशन अधिनियम 1954 जैर प्रकरण भूमि पर लागू नहीं होता है तथा शिकायतकर्ता अपनी शिकायत के तथ्यों को सिद्व करने में असफल रहा है। अतः हस्तगत शिकायत निराधार व सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः प्रार्थी का शिकायत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11, 14 उपनिवेशन अधिनियम 1954 सारहीन होने से शिकायत प्रार्थना पत्र तथा आदेशिका दिनांक 08.12.2021 द्वारा जारी स्थगन आदेश खारिज किया जाता है। निर्णय की सूचना अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख वापिस लौटाया जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.01.23 11:58:34 IST
Reason: SelfAttested

(अरविन्द कुमार जाखड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जि. श्रीगंगानगर)